

NO/P.A/DI/P. 117

6171

10 SEP 2010

## अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.09.07 की निरन्तरता में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानान्तर्गत चिकित्सा विभाग के निम्न अधिकारियों को उनके पदनाम के आगे अंकित अधिकारी/प्राधिकारी घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	पद नाम	प्राधिकारी/अधिकारी
1	वित्तीय सलाहकार	जन सूचना अधिकारी
2	अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय	जन सूचना अधिकारी

(आर.सी. डेनवाल)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 2- वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 3- अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 4- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान - सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/79/

दिनांक : 25/11/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी अधिसूचना क्रमांक प.17(105)चिस्वा/2/05 दिनांक 10.09.10 के क्रम में।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को पालनार्थ।
4. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को पालनार्थ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. डीलिंग सहायक, सूचना का अधिकार अधिनियम-05, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को पालनार्थ।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वैबसाइट पर उलवाने की व्यवस्था करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।